ग्राम पंचायत सलोह, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023

भाग-एक

1. **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनाँक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सलोह, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा के अवधि "04/21 से 03/23" तक के लेखों का अंकेक्षण हि.प्र राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति अनीता देवी	01-04-21 से 31-03-23

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री नवीन डोगरा	01-04-21 से 08-12-21
2.	श्री धनी राम	09-12-21 से 31-03-23

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत सलोह के अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	4.2	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में भारी अन्तर पाया जाना	4.06

2.	5	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	28.70
3.	6	प्रियासॉफ्ट के तहत दर्ज की गई प्राप्ति/व्यय व मैनुअल रोकड़ बही में दर्ज किये गये आंकड़ों में अंतर, प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए शेष तथा बैंक पास बुक शेष में भारी अंतर पाया जाना	4.16
4.	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.89
5.	9	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने से राजस्व हानि	0.41
6.	13	आपूर्तिकर्ता को गणना सम्बन्धी त्रुटि के कारण अधिक व अनियमित भुगतान करने बारे	0.05
7.	14	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	3.76
8.	16	विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु राशि का अपेक्षाकृत अधिक भुगतान करने बारे	0.11

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत सलोह, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/2021 से 31/03 /2023" तक के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री अजय कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक व श्री विशाल शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 29-09-2023 से 03-10-23 व 30, 31-10-2023 के दौरान पंचायत कार्यालय, सलोह में किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021-22	06/21	02/22
2022-23	03/23	04/22

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के सचिव/प्रधान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. **अंकेक्षण शुल्क:-**

ग्राम पंचायत सलोह, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर **₹5,600/-** बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 94 दिनांक 31.10.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सलोह से अनुरोध किया गया।

4. **वित्तीय स्थिति:-**

ग्राम पंचायत सलोह द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

(क) स्व: स्त्रोत:- ग्राम पंचायत सलोह के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" तक के स्व: स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	1416456.00	364568.00	1781024	140567.00	1640457.00
2022-23	1640457.00	106249.00	1746706	171810.00	1574896.00

(ख) अनुदान:- ग्राम पंचायत सलोह के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण सलग्न **परिशिष्ट -1** में दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	**5842578.34**	**2594910.30**	**8437488.64**	**2720531.44**	**5716957.20**
2022-23	**5716957.20**	**3014224.00**	**8731181.20**	**5865346.00**	**2865835.20**

(ग) दिनांक 31.03.23 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम संख्या	शीर्ष	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1.	**General**	CANARA	5382101000891	317273.00
2.	**General**	KCC	20141011070	54554.00
3.	**General**	KCC	20141011808	765438.00
4.	**General/5th FC**	KCC	20141006831	1013842.43
5.	**15TH FC**	HDFC	50100324878558	1974371.10
6.	**14TH FC**	HDFC	50100148209160	110565.94
7.	**14TH FC**	CANRA	5382101000712	291008.00
8.	**13TH FC**	HDFC	17361450000686	182959.45
9.	**SDP**	HDFC	17361450001015	8349.00
10.	**ZP**	HDFC	17361450000765	85273.87
11.	**VMJS**	HDFC	17361450000711	1153.18
12.	**VKNY**	HDFC	17361450000669	34768.30
13.	**AAY**	HDFC	17361450000696	6735.21
14.	**MPLAD**	HDFC	17361450000652	265.00
15.	**हस्तगत रोकड़**			487.00
		कुल योग		**4847043.48**

4.1 बैंक समाधान विवरणी:-

दिनांक 31-03-23 को बैंक अनुसार अन्त शेष	4847043.48
दिनांक 31-03-23 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (क+ख)	4440731.12
अंतर	**406312.28**

4.2 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में ₹4.06 लाख का अन्तर पाया जाना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

उक्त पैरा 4 में उल्लेखित वित्तीय स्थिति अनुसार रोकड़ बही व बैंक खातों में दिनांक 31-03-23 को ₹406312.28 की राशि का अन्तर पाया गया ।

पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 92(1) दिनांक 31.10.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्युत्तर संख्या GP/SALOH/37/2023 दिनांक 31.10.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता के बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों एवं बैंक शेषों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को न तैयार करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुये एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग-अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय-व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है । इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय-व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

4.4 लेखा खाता /खाता बही तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने के कारण

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है व किस-किस कार्य पर कितना-कितना व्यय हुआ है।

अत: अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जाएँ।

5. अनुदान राशि ₹28.70 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-क)** के अनुसार दिनांक 31-03-23 तक अनुदान राशि ₹2869909.20 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 92(2) दिनांक 31.10.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सलोह से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्युत्तर संख्या GP/SALOH/37/2023 दिनांक 31.10.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः वर्णित शेष अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. प्रियासॉफ्ट के तहत दर्ज की गई प्राप्ति/व्यय व मैनुअल रोकड़ बही में दर्ज किये गये आंकड़ों में अंतर, प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए शेष तथा बैंक पास बुक शेष में ₹4.16 लाख का भारी अंतर पाया जाना :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम. एम. पी.) प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लीकेशन है जिनमें पंचायत की दैनिक कार्यवाही जैसे कि पंचायत द्वारा की गई सेवाओं/सामान खरीद/भुगतान सम्पति इत्यादि का इन्द्राज करना था।

अंकेक्षण अवधि हेतु चयनित माह के दौरान प्रियासॉफ्ट में दर्शायी गई प्राप्ति व व्यय के आंकड़ों व पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गये मैनुअल रोकड़ बही के आंकड़ों में निम्न अंतर पाया गया:-

(क) प्रियासॉफ्ट में दर्ज मासिक प्राप्ति /व्यय व रोकड़ बही के अनुसार मासिक खर्च में अंतर (Except MNREGA):-

क्रम स.	माह	प्राप्ति			भुगतान		
		प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर
1	6/21	585351.00	547551.00	37800.00	318764.00	294956.00	23808.00
2	2/22	0.00	0.00	0.00	468932.00	468949.70	17.70
3	4/22	4100.00	14940.00	10840.00	1792092.00	2056246.00	264154.00
4	3/23	980037.00	442862.00	537175.00	672591.00	60203.00	612388.00

(ख) प्रियासॉफ्ट में दर्ज वार्षिक प्राप्ति/व्यय व रोकड़ बही के अनुसार वार्षिक खर्च में अंतर (Except MNREGA):-

क्रम स.	वर्ष	प्राप्ति			भुगतान		
		प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर
1	21-22	1465778.00	1830299.00	364521.00	1548936.40	1731919.14	182982.74
2	22-23	2175123.00	1944470.00	230653.00	4584001.00	4861153.00	277152.00

(ग) प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए गए शेष तथा बैंक पास बुक शेष में अंतर पाया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है (Except MNREGA):-

वर्ष	प्रियासॉफ्ट के अनुसार बैंक शेष	बैंक पासबुक के अनुसार शेष+(CASH IN HAND)	अंतर
03/23	5262158.28 +806 (Cash in Hand) = 5262964.28	**4847043.48**	415920.80

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 92(4) दिनांक 31.10.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्युत्तर संख्या GP/SALOH/37/2023 दिनांक 31.10.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7. पंचायत राजस्व राशि ₹0.89 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना:-

(क) गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण ₹0.69 लाख का पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 33 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 102 के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत को अपने कार्यक्षेत्र में निर्धारित दर से गृह कर आरोपित करने तथा उसके संग्रहण का अधिकार है।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपने अधीनस्थ सभी स्त्रोतों जहां से राजस्व उत्पन्न होता है, इतनी रकम का, जितनी बैंक, खजाना या अन्य लेखा-जोखा दिया है के लिए उधार दावा करते हुए, मासिक लेखे और विवरणी, अभिप्राप्त करने की व्यवस्था करेगा और उन्हें प्रारूप 10 में मांग रजिस्टर में नोट करवाएगा।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख अर्थात गृह कर के मांग व संग्रहण रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया था। पंचायत द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वर्ष 2021-23 के दौरान ₹50 प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि ₹69275/- के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.23 को शेष थी, जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट व नीचे दिया गया है:-

सम्पति कर:-

वर्ष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2021-22	693	50	24905	34650	59555	7330	52225.00
2022-23	693	50	52225	34650	86875	17600	69275.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी। मांग व वसूली रजिस्टर का साधारण प्रारूप -10 पर नहीं किया गया था जिससे कि लम्बित गृह कर तथा वसूली का सही पता लगाया जा सके। अत: गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख का संधारण न करना तथा गृह कर नियमित रूप से वसूल न करना इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है, जो कि उपरोक्त नियमों की अवहेलना है।

(ख) दुकानों से किराया :-

ग्राम पंचायत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में विभिन्न दुकानों/खोखों का निर्माण किया गया है तथा उन्हें किराये/पट्टे पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनाकं 31.03.2023 को **₹20000/-** दुकानों के किराए के रूप में वसूली हेतू शेष थे जिसका विवरण **परिशिष्ट – ख** व नीचे तालिका में दिया गया है :-

वर्ष	**आ. शेष**	**मांग**	**योग**	**प्राप्ति**	**वसूली हेतु शेष राशि**
2021-23	2400	31200	33600	13600	20000

नोट: दुकानों की संख्या: 3

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 91 दिनांक 30.10.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्युत्तर संख्या GP/SALOH/37/2023 दिनांक 31.10.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दुकानों से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके कारण दुकानों के बकाया किराया राशि की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी जो पंचायती राज (वित्त) नियम 2002 के नियम 79(2) की स्पष्ट उलंघना है।.

अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित करों एवं बकाया राजस्व की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

8. पंचायत क्षेत्र में स्थापित मोबाईल टावर से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे:-

प्रधान सचिव, सूचना प्रोद्योगिकी द्वारा जारी अधिसुचना संख्या DIT.Dev-(IT)2005(Misc.)96 दिनांक 21 जून 2017 के पैरा 3.4 के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र में मोबाईल टावर की स्थापना पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत को ₹4000 से बढ़ाकर ₹10000 स्थापना शुल्क एवम प्रतिवर्ष ₹2000 से बढ़ाकर ₹5000 नवीनीकरण शुल्क प्राप्त करने का अधिकार है । पैरा 3.4 (ii) के अनुसार हर 5 साल के पूरा होने पर नवीनीकरण शुल्क में 25% की बढ़ौतरी की जाएगी। पैरा 3.4 (iv) के अनुसार कोई भी मोबाईल टावर कम्पनी यदि अतिरिक्त अन्टेना किसी स्थापित टावर पर लगाएगी तो उसे वार्षिक शुल्क का 60% नवीनीकरण देना होगा।

इसके अतिरिक्त पैरा 3.4 (vi) के अनुसार यदि कोई मोबाईल टावर कम्पनी नोटिस की तिथि से 30 दिन के अंदर शुल्क नहीं चुकाती है तो उसे प्रति सप्ताह 5% दंड शुल्क भी चुकाना होगा परन्तु यदि लम्बित राशि नोटिस की तिथि से दो माह तक भी नहीं चुकाई जाती है तो ग्राम पंचायत सम्बन्धित कम्पनी की अनुमति रद्द करने बारे नोटिस जारी कर सकती है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2021-2022 में पंचायत क्षेत्र में स्थापित मोबाईल टावर से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे मोबाईल टावर कंपनी से वसूली योग्य राशि की जांच अंकेक्षण द्वारा नहीं की सकी जो पंचायती राज (वित्त) नियम 2002 के नियम 79(2) की स्पष्ट उलंघना है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 92 (5) दिनांक 31.10.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमिता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में व उनके प्रत्युत्तर संख्या GP/SALOH/37/2023 दिनांक 31.10.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत कर दिया जाएगा।

अतः वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

9. खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने से राशि ₹0.41 लाख की राजस्व हानि:-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम '81' व '81ए' के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा

जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या स्प्लीमेंटरी पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिबार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गयी थी परन्तु आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को निम्न विवरणानुसार **₹41436/-** का अनियमित भुगतान किया गया था:-

नाम	मात्रा (cum)	फैक्टर	कुल मात्रा	दर (प्रति टन)	राशि
रेत	131.90	1.62	213.67	80	17094
बजरी	102.83	1.52	156.30	80	12504
पत्थर	19.82	2.24	44.39	80	3551
				योग	**33149**
				पेनल्टी 25%	**8287**
				कुल योग	**41436/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 93(7) दिनांक 31.10.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्युत्तर संख्या GP/SALOH/37/2023 दिनांक 31.10.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण **रॉयल्टी** की गणना नहीं की जा सकी, प्रस्तुत उतर संतोषजनक नहीं है।

अतः **₹41436/-** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हि. प्र. सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Non ferrous mining and Metallurgical Industries,102-Mineral Concession fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के लिए जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जांच अपने स्तर पर करके नियमानुसार देय रॉयल्टी की वसूली करना सुनिश्चित करें।

10. बिल/ वाउचरों के भुगतान हेतु पारित आदेश सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संख्यापरीक्षा, संख्याकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/2021 से 03/2023 के दौरान बिलों का भुगतान हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया था जिनमें से चयनित माह के व्यय का विवरण निम्न दिया गया है :-

क्र° स°	वर्ष	चयनित माह	चयनित माह में पारित बिलों की कुल राशि
1.	2021-22	02/2022	591058.70
2.	2022-23	04/2022	2108950.00

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 93(8) दिनांक 31.10.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्युत्तर संख्या GP/SALOH/37/2023 दिनांक 31.10.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

11. बिल / वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार "पंचायत के सचिव प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित करेगा"।

अंकेक्षण हेतु चयनित माह 02/22 व 04/22 के दौरान व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि माह 02/22 व 04/22 के दौरान व्यय की गई राशि से सम्बन्धित बिल/ वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं थे, जो कि उपरोक्त नियमों के विपरित है |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 93(10) दिनांक 31.10.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्युत्तर संख्या GP/SALOH/37/2023 दिनांक 31.10.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

12. ₹500/- का मानदेय के रूप में पंचायत सदस्यों को अधिक भुगतान करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान सामान्य निधि की रोकड़ बही के वाउचर संख्या **39 दिनांक 07-01-22** को ग्राम पंचायत द्वारा अवधि 07/2021 से 09/2021 व वाउचर संख्या 0 दिनांक 13.09.22 को ग्राम पंचायत द्वारा अवधि 04/2022 से 06/2022 के लिए मानदेय का भुगतान किया गया था परन्तु इस अवधि के दौरान ₹500/- का पंचायत सदस्यों को अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम सं०	वार्ड पंच का नाम	पंचायत बैठकों की अवधि	कुल बैठकें	वा० में दर्शाई कुल उपस्थिति	भुगतान की गयी राशि	कुल वास्तविक उपस्थिति	वास्तविक भुगतान योग्य राशि	अधिक भुगतान
1	रविन्द्र कुमार	07/2021 से 09/2021	6	5	(5X250)=1250	4	(4X250)= 1000	250
2	रविन्द्र कुमार	04/2022 से 06/2022	6	5	(5X250) =1250	4	(4X250)= 1000	250
	कुल योग							**500**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 92(6) दिनांक 31.10.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना

में उनके प्रत्युत्तर संख्या GP/SALOH/37/2023 दिनांक 31.10.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13. आपूर्तिकर्ता को गणना सम्बन्धी त्रुटि के कारण ₹5000/-का अधिक व अनियमित भुगतान करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि इनवॉइस नं० 233 Dt. 28.02.22 वाउचर संख्या 64 दिनांक 26.04.22 को मै. शिव करण को निर्माण सामग्री (रेत, बजरी) के क्रय के लिए **₹38873/-** का भुगतान किया था जबकि गणना करने पर पाया गया कि भुगतान की राशि **₹33873 (₹32260 + 5% GST)** बनती थी जिसके परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को **₹5000/-** का अधिक भुगतान किया गया था।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 93(14) दिनांक 31.10.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्युत्तर संख्या GP/SALOH/37/2023 दिनांक 31.10.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इस अधिक व अनियमित भुगतान को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वस्तुस्थिति व नियमानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अपेक्षित कार्रवाई से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

14. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹3.76 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹375601/-** के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्रम संख्या	वा० संख्या, वर्ष/माह	फर्म का नाम	विवरण	राशि
1.	16, दिनाकं 19.04.22	मै. मुकुंद इंडस्ट्रीज़	टाइल्स	142126

2.	34, दिनाकं 19.04.22	मै. मुकुंद इंडस्ट्रीज़	टाइल्स	121599
3.	38, दिनाकं 19.04.22	मै. मुकुंद इंडस्ट्रीज़	टाइल्स	61419
4.	42, दिनाकं 19.04.22	मै. मुकुंद इंडस्ट्रीज़	टाइल्स	26240
5.	58, दिनाकं 19.04.22	मै. मुकुंद इंडस्ट्रीज़	टाइल्स	24217
कुल योग				**375601/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 93(12) दिनांक 31.10.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्युत्तर संख्या GP/SALOH/37/2023 दिनांक 31.10.2023 के अन्तर्गत पंचायत सचिव द्वारा तथ्यो व आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त सूचित किया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

ग्राम पंचायत द्वारा निविदा सम्बन्धित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही कार्यों को करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाये बिना कृत व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में कार्यों को करने से पूर्व आवश्यक निर्धारित औपचारिकताएं विधिवत पूर्ण करने के उपरान्त ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु जारी राशि से सम्बन्धित माप पुस्तिका न प्रस्तुत करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक (कों) सुसंगत अभिलेख/रजिस्टर प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अभिलेखों विवरणियों और लेखों के रजिस्टर संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु जारी राशियों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में भुगतान की गई राशि के व्यय की सत्यता की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। निर्माण कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	शीर्ष
1	सौन्दर्य-कर्ण व टायल वर्क मैदान बाबा मगन द्वारा, वार्ड न० 6	14FC
2	मुरम्मत टायल वर्क हट्लेश्वर महादेव, वार्ड न० 4	14FC
3	मुरम्मत जीप रोड़ टायल वर्क कश्मीर सिंह के घर से मंदिर की ओर	14FC
4	मुरम्मत जीप रोड़ टायल वर्क विपिन कुमार के घर से चौपाट के ओर, वार्ड न० 2	14FC
5	मुरम्मत जीप रोड़ टायल मुख्य सड़क से वेदू गनेटू की ओर	14FC
6	मुरम्मत रास्ता टायल वर्क मुख्य सड़क चोपाट से वंचर वस्ती के ओर, वार्ड न० 3	14FC
7	मुरम्मत रास्ता मैन रोड़ से अमित के घर के ओर, वार्ड न० 7	14FC
8	मुरम्मत रास्ता टायल वर्क जीप रोड़ आत्मा राम के घर से सुरेन्द्र के घर तक	14FC
9	मुरम्मत रास्ता मैन रोड़ से अरविन्द के घर की ओर, वार्ड न० 7	14FC

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 92(13) दिनांक 31.10.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्युत्तर संख्या GP/SALOH/37/2023 दिनांक 31.10.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये वांछित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

16 विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु क्रय सामग्री की अपेक्षा कम सामग्री के उपयोग के फलस्वरूप राशि ₹0.11 लाख का अपेक्षाकृत अधिक अनियमित भुगतान करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों के समर्थन में प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन में पाया गया कि माप पुस्तिकाओं में निर्माण सामग्री (रेत, बजरी, टाइल्स) का निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इन कार्यों के लिए निर्माण सामग्री (रेत, बजरी, सीमेंट, टाइल्स) का क्रय अधिक किया गया था और बची हुई सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में भी वापिस नहीं लिया गया था, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	माप पुस्तिका संख्या/ पेज संख्या	सामग्री का नाम	क्रय की गयी सामग्री की मात्रा	निर्माण कार्य पर उपयोग हुई सामग्री की मात्रा	अंतर	दर	राशि
1	निर्माण कार्य Upgradation Chau Bharsui da near Soon khad Ward No.1.2.3.4	12445/ 07-09	रेत	140 CFT	110CFT	30 CFT	51.43	1543
	कुल योग (A)							**1543/-**
2	निर्माण कार्य R/O Road मुख्य सड़क वावडी Ward No. 01	12421/ 45-46	रेत	200 CFT	178 CFT	22 CFT	54	1188
			बजरी	200 CFT	94 CFT	105 CFT	44	4620
			टाइल्स	1950 Nos.	1825 Nos.	125 Nos.	17	2125
	कुल योग(B)							**7933/-**
3	निर्माण कार्य मुरम्मत रास्ता जीप रोड (Tiles work) मुख्य सड़क से वेद्रू गनेटू की ओर	12451/ 39-40	सीमेंट	50 बैग	45 बैग	5 बैग	329.47	1647
							कुल योग (C)	**1647**
							कुल योग (A+ B+ C)	**11123**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 93(15), 93(16), व 93(17) दिनांक 31.10.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्युत्तर संख्या GP/SALOH/37/2023 दिनांक 31.10.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः निर्धारित निर्माण मानकों के अनुसार उक्त निर्माण सामग्री के प्रयोग की मात्रा को अपेक्षाकृत अधिक क्रय सामग्री मात्रा के दृष्टिगत पूर्ण को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17. विविध अनियमितताएं:-

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

18. विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 93(18) दिनांक 31.10.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्युत्तर संख्या GP/SALOH/37/2023 दिनांक 31.10.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	1	12
2.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	---	15(1)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
4.	रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर	---	31
5.	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(14)
6.	सहायक अनुदान रजिस्टर, हि. प्र. पंचायती राज सामान्य नियम 1997	8	34
7.	बिल रजिस्टर	13	48
8.	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
9.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण न करना	25 व 26	72(1) (ए,बी)
10.	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी,डी)
11.	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)

19. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया।

20. **लघु-आपति विवरणिका :-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई हैं।

21. **निष्कर्ष:-** लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवयश्कता है।

04 JAN 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

178- 182 का०/छ

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल०ए०)एच(पंच)(xv)(2)380/2023–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय लोक लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि०प्र०।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा (हि०प्र०)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत सलोह, विकास खण्ड भवारना जिला काँगड़ा (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

04 JAN 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का०/छ

परिशिष्ट -(क)

FINANCIAL POSITION OF GRANT IN AID OF GP SALOH BLOCK BHAWARNA FOR THE YEAR 2021-222

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	4543648	118499.00	4662147.00	1171255.7	3490891.30
2	MGNREGA	0	1129179.30	1129179.30	1129179.30	0.00
3	ZP	94548	18615.00	113163.00	29788.00	83375.00
4	5TH FC	440607.43	295623.00	736230.43	293906	442324.43
5	AAY	6361.91	193.00	6554.91	17.70	6537.21
6	MPLAD	269	10.00	279.00	17.70	261.30
7	VMIS	1138	41.00	1179.00	42.94	1136.06
8	VKVNY	32322	1440.00	33762.00	17.7	33744.30
9	SK RELIEF	51480	120053.00	171533.00	96271.00	75262.00
10	13TH FC	172341	6544.00	178885.00	0.00	178885.00
11	MMGPY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
12	RGSA	0	0.00	0.00	0.00	0.00
13	IAY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
14	IWMP	0	0.00	0.00	0.00	0.00
15	SDP	24	0.00	24.00	0.00	24.00
16	SBM	0	0.00	0.00	0.00	0.00
17	15TH FC	499836	904713.00	1404552.00	35.40	1404516.60
	TOTAL	5842578.34	2594910.30	8437488.6	2720531.4	5716957.20

FINANCIAL POSITION OF GRANT IN AID OF GP SALOH BLOCK BHAWARNA FOR THE YEAR 2022-23

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	3490891.30	68942	3559833.30	3184801.00	375032.30
2	MGNREGA	0.00	1176003.00	1176003.00	1176003.00	0.00
3	ZP	83375.00	1899.00	85274.00	0.00	85274.00
4	5TH FC	442324.43	339600	781924.43	300950	480974.43
5	AAY	6537.21	198.00	6735.21	0.00	6735.21
6	MPLAD	261.30	6	267.30	0	267.30
7	VMIS	1136.06	17.00	1153.06	0.00	1153.06
8	VKVNY	33744.30	1024	34768.30	0	34768.30
9	SK RELIEF	75262.00	0.00	75262.00	0.00	75262.00
10	13TH FC	178885.00	4074.00	182959.00	0.00	182959.00
11	NC	0.00	0.00	0.00	0	0.00
12	IAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	IWMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	SDP	24.00	197481.00	197505.00	189156.00	8349.00
15	SBM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	15TH FC	1404516.60	1224980.00	2629496.60	1014436.00	1615060.60
	TOTAL	5716957.20	3014224.00	9731181.2	5865346.0	2865835.2

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF GRANT IN AID AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK 5716957.20

Ajm
J.A

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT SALOH BLOCK BHAWARNA DISTRICT KANGRA PINCODE 176102

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2021-22	1416456	364568.00	1781024	140567.00	1640457.00

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT SALOH BLOCK BHAWARNA DISTRICT KANGRA PINCODE 176102

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2022-23	1640457.00	106249.00	1746706	171810.00	1574896

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK

PRADHAN

SECY

GRAM PANCHAYAT SALOH
DEV BLOCK BHAWARNA KANGRA H.P

J.A

22

BANK DETAIL OF GP SALOH BLOCK BHAWARNA DISTRICT KANGRA

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 01-04-21

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACC NO	AMT
1	General	CANRA	5382101000891	750308
2	General	KCC	20141011070	51480
3	General	KCC	20141011808	666124
4	General/5th fc	KCC	20141006831	440607.43
5	15TH FC	HDFC	50100324878558	499839
6	14TH FC	HDFC	50100148209160	2474080.64
7	14TH FC	CANRA	5382101000712	2069568
8	13TH FC	HDFC	17361450000686	172341.45
9	SDP	HDFC	17361450001015	24
10	ZP	HDFC	17361450000765	94547.57
11	VMJS	HDFC	17361450000711	1137.9
12	VKNY	HDFC	17361450000669	32322
13	AAY	HDFC	17361450000696	6361.91
14	MPLAD	HDFC	17361450000652	269
15	CASH IN HAND			24
			TOTAL	7259034.90

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-22

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACC NO	AMT
1	General	CANRA	5382101000891	712640
2	General	KCC	20141011070	53041
3	General	KCC	20141011808	712642
4	General/5th fc	KCC	20141006831	650711.43
5	15TH FC	HDFC	50100324878558	1404516.6
6	14TH FC	HDFC	50100148209160	1788792.94
7	14TH FC	CANRA	5382101000712	1733830
8	13TH FC	HDFC	17361450000686	174915.45
9	SDP	HDFC	17361450001015	24
10	ZP	HDFC	17361450000765	82762.87
11	VMJS	HDFC	17361450000711	1128.18
12	VKNY	HDFC	17361450000669	33744.3
13	AAY	HDFC	17361450000696	6537.23
14	MPLAD	HDFC	17361450000652	259
15	CASH IN HAND			181
			TOTAL	7355726.00

J.A

PRADHAN SECY

GRAM PANCHAYAT SALOH
DEV. BLOCK BHAWARNA, KANGRA, H.P

23

BANK DETAIL OF GP SALOH BLOCK BHAWARNA DISTRICT KANGRA

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-23

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACC NO	AMT
1	General	CANRA	5382101000891	317273
2	General	KCC	20141011070	54554
3	General	KCC	20141011808	765438
4	General/5th fc	KCC	20141006831	1013842.43
5	15TH FC	HDFC	50100324878558	1974371.1
6	14TH FC	HDFC	50100148209160	110565.94
7	14TH FC	CANRA	5382101000712	291008
8	13TH FC	HDFC	17361450000686	182959.45
9	SDP	HDFC	17361450001015	8349
10	ZP	HDFC	17361450000765	85273.87
11	VMJS	HDFC	17361450000711	1153.18
12	VKNY	HDFC	17361450000669	34768.3
13	AAY	HDFC	17361450000696	6735.21
14	MPLAD	HDFC	17361450000652	265
15	CASH IN HAND			487
			TOTAL	[illegible] 4847043.48

PRADHAN SECY

GRAM PANCHAYAT SALOH
DEV. BLOCK BHAWARNA, KANGRA, H.P.

A/…
J.A.

24

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT SALOH BLOCK BHAWARNA DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2021-22	693	50	24905	34650	59555	7330	52,225

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT SALOH BLOCK BHAWARNA DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2022-23	693	50	52,226	34650	86875	17600	69275

Ajay
J.A

PRADHAN SECY
GRAM PANCHAYAT SALOH
DEV. BLOCK BHAWARNA KANGRA H.P.

28

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT SALOH BLOCK BHAWARNA DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2021-22							

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT SALOH BLOCK BHAWARNA DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2022-23							

परिशिष्ट -(ख)

SHOP RENT AMOUNT OUTSTANDING AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT SALOH BLOCK BHAWARNA DISTRICT KANGRA						
YEAR	No. of Shops	Opening Balance	Demand	Total	Collection	Outstanding Amount
2021-22	3	2400	15600	18000	2500	15500
2022-23	3	15500	15600	31100	11100	20000

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत सलोह
विकास खण्ड भवारना
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

(26)

List of DDOs			
S.no	Name	Period	Designation
1	SMT. ANITA DEVI	01-04-21 to 31-03-23	Pradhan
2	SH. NAVEEN DOGRA	01-04-21 to 08-12-21	Secretary
3	SH. DHANI RAM	09-12-21 TO 31-03-23	Secretary

PRADHAN SECY

GRAM PANCHAYAT SALOH
DEV. BLOCK BHAWARNA, KANGRA H.P.